भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 222

21 जुलाई, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में श्री अन्न के वितरण की नीति

222. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोषक अनाजों को बढ़ावा देने के लिए उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से 'श्री अन्न' (मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी और ज्वार) के वितरण को बढ़ाने के लिए कोई विशेष नीति तैयार की गई है;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों ने केंद्रीय पूल में मोटे अनाजों की खरीद की है और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए क्या बजटीय प्रावधान किए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में राशन कार्ड धारकों को गेहूं और चावल के स्थान पर उनकी इच्छा के अनुसार बाजरा/मोटा अनाज चुनने का विकल्प देने पर विचार कर रही है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): मोटे अनाजों के आबंटन, वितरण और निपटान को दिनांक 07.12.2021/28.03.2022/08.09.2023 के दिशानिर्देशों द्वारा विनियमित किया जाता है। इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)/अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के अंतर्गत वितरण के लिए राज्यों को विकेंद्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ज्वार (सोरघम), बाजरा (पर्ल मिलेट), मक्का तथा रागी (फिंगर मिलेट) की खरीद करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मोटे अनाज की खरीद और वितरण बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 में पूर्व के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए गए थे।

...2/-

i. एफसीआई के माध्यम से अधिशेष मिलेट्स के अंतर-राज्यीय परिवहन का प्रावधान शामिल किया गया था।

ii. मिलेट्स की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए अधिग्रहण चरण पर प्रशासनिक प्रभार को एमएसपी के 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया।

iii. वर्ष 2022 में मिलेट्स की वितरण अवधि/शेल्फ लाइफ को पूर्व के 3 माह से बढ़ाकर 6-10 माह कर दिया गया, जिससे खरीद का स्तर और भी बढ़ गया।

iv. वर्ष 2023 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिलेट्स की खरीद एवं वितरण के दायरे में विस्तार किया गया है, जिसमें केएमएस 2028-29 तक रागी के एमएसपी पर एमएसपी योजना के अंतर्गत लघु मिलेट्स; फॉक्सटेल मिलेट (कंगनी/काकुन), प्रोसो मिलेट (चीना), कोदो मिलेट (कोदो), लिटिल मिलेट (कुटकी), बक-व्हीट (कुट्टू) और अमेरनथस (चौलाई) को शामिल किया गया है।

(ख): वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों की सूची, खरीदी गई मात्रा और किसानों को भुगतान किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

राज्य पर टीपीडीएस/ओडब्ल्यूएस के तहत वितरण हेतु मिलेट्स को एमएसपी पर खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है। तथापि, चावल, गेहूं और पोषक अनाजों की कुल मात्रा एनएफएसए के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा के भीतर होनी चाहिए।

(ग): गेहूं और चावल के अलावा मिलेट्स भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का हिस्सा है।

राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), यह सुनिश्चित करते हुए कि चावल, गेहूं और पोषक अनाज की कुल मात्रा एनएफएसए के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा के भीतर हो, पीडीएस के तहत वितरण के लिए गेहूं/चावल की समान मात्रा के बदले मिलेट्स/मोटे अनाज की अनुमोदित मात्रा आबंटित करता है।

*****

राज्य सभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 222 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मोटे अनाज की खरीद दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े टन में)

केएमएस	जिंस	आंध्र प्रदेश	गुजरात	हरियाणा	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उत्तरप्रदेश	उत्तराखंड	तमिलनाडु	कुल खरीद (टन)	एमएसपी (रु./क्विंटल)	एमएसपी मूल्य (करोड़ में)
2025-26*	ज्वार (खरीफ)				140199	390	5518	43562			189669	3699	701.59
	ज्वार (रबी)	49852	4882		81620		94113				230467	3699	852.50
	बाजरा (खरीफ)		14472	233				213973			228678	2775	634.58
	बाजरा (रबी)		77637								77637	2775	215.44
	मक्का (खरीफ)		564				100511	13209			114284	2400	274.28
	मक्का (रबी)		11843				42366	8899			63108	2400	151.46
	रागी (खरीफ)		13		569331		462		5386	7919	583111	4886	2849.08
	रागी (रबी)	4846									4846	4886	23.68
	कुल	**54698**	**109411**	**233**	**791150**	**390**	**242970**	**279643**	**5386**	**7919**	**1491800**		**5702.61**

*वर्ष 2025-26 की खरीद प्रक्रिया अभी भी जारी है (आंकड़े 14.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार हैं)

*****